दिनांक [illegible]

मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

07/07/25 पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र पेश कर खारिज किया जाता है कि वादी [illegible] के लिए आकर पत्रावली [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] किया [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
66/2020	21.10.2020	02.12.2025

बउनवान

1. झाबर उर्फ किशनस्वरूप पुत्र उमराव जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर,

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र बन्शी जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
2. सीताराम पुत्र बन्शी जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
3. भगवान प्रसाद पुत्र बन्शी जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
4. नरेन्द्र पुत्र बन्शी जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
5. सुरेन्द्र पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0
6. शारदा पुत्री गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
7. प्रेमलता पुत्री गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
8. अनिता पुत्री गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
9. भुतेरी पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
10. हरिराम पुत्र रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
11. सत्यनारायण पुत्र रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
12. शीला पुत्री रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
13. सोमा पुत्री रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
14. कृपा पुत्री रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
15. दया पुत्री रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

16. दुलारी पुत्री रामवतार जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
17. भवानी पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
18. राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
19. सुखलाला पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
20. हेमचन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
21. गोविन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
22. पुष्पा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
23. बबली पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
24. ममता पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
25. सन्तरा पत्नी बोदन जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
26. बाबूलाल पुत्र बोदन जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
27. हवासिंह पुत्र बोदन जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
28. श्रीराम पुत्र लादू जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
29. बलवान पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
30. महेश पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
31. लोकेश पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर राज0।
32. मुनिया देवी पत्नी रामवीर जाति अहीर निवासी करोडा तह0 बहरोड अलवर राज0।
33. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
34. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
35. प्रबंधक R.G.B. सोडावास मुण्डावर अलवर राज0।
36. प्रबंधक P.N.B. बैंक जाट बहरोड अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री रणवीर सिंह यादव —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री अरूण पण्डित —: अप्रार्थी अधिवक्ता
श्री धर्मवीर बडसीवाल —: अप्रार्थी अधिवक्ता

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थन पत्र मय वाद अदालत श्रीममान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र के समर्थन में मिन प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे मिन प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित है। काबिल डिकी है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजीयत हाल हाल खं० नम्बरान 230 रकबा 0.62 हैक0, 1207/165 रकबा 0.19 हैक0, 880 रकबा 0.26 हैक0, 881 रकबा 0.28 है0, 883 रकबा 0.23 हैक0, 884 रकबा 0.34 हैक0, 890 रकबा 0.25 हैक0, 894 रकबा 0.26 हैक0, 907 रकबा 0.09 है40, 908 रकबा 0.10 हैक०, 910 रकबा 0. 23 है40, 911 रकबा 0.19 हैक0, 914 रकबा 0.19 हैक0, 915 रकबा 0.19 है40, 873 रकबा 0.28 हैक0, 605 रकबा 0.63 हैक0, 604 रकबा 1.34 हैक0, 843 रकबा 0.35 है0, 872 रकबा 0.19 है40, 177 रकचा 1.18 हैक0, 231 रकबा 0.38 हैक०, 606 रकबा 0.63 हैक०, में मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 1 ल0 32 का हिस्सा दर्ज राजसव रिर्कोड है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण स01 ल0 24 की पैत्रिक जायदाद रही है, जो जायदाद मिन व अप्रार्थीगण स० 1 ल० 24 के पूर्वज उमराव व बंशी की जायदाद थी तथा उमराव व बंशी ने अपने जीवनकाल में आराजी का विभाजन कर लिया था तथा मिन प्रार्थी के पिता ने भी अपने चारों पुत्रों के मध्य अपने हिस्से आयी आराजी का लिखित मे विभाजन कर दिया था तथा प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 24 अपने अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा किशनलाल व बंशी के वारिसान ने अपने हिस्से की कुछ आराजी का बेचान अप्रार्थी स0 25 ल0 32 को बेचान कर दिया है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी तर० स० 1 ल० 32 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है, लेकिन मौका आराजी का बहामी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार अपने अपने हिस्से पर बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, तथा आराजी का आज दिन त्तक विधिक तकासमा नही हुआ है।
6. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 1 ल0 32 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का पअप्रर्थीगण बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी का विशिष्ठ भाग को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान करने पर उतारू हो रहे है तथा मिन प्रार्थी के हिस्से बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल करना चाहते है। इसलिए मिन प्रार्थी का अब अप्रार्थीगण के साथ अब सामलात में काश्त

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

करना सम्भव नही रहा है। इसलिए मिन व प्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजसव रिर्कोड का तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

7. यह है कि दिनांक 21/8/2018 को अपगण एकराय होकर मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा किया जिस पर मिन प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण आमादा लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हम विवादित आराजी में अपने हिस्से को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान कर देगे तथा तुम्हे काश्त नहीं करने देगे तथा आराजी से बेदखल कर देगे, जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आराजी का विधिक बंटवारा कराने की कही तो अप्रार्थीगण आज कल आज कल करते रहे और अब दिनांक 15/1/2019 को विधिक बंटवारा कराने से मना कर दिया। बस यही वाद हेतू बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा हेकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
8. यह है कि विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 1 ल0 32 के नाम का अंकन सामलात हो रहा है लेकिन मौका पर आराजी का बहामी बंटवारा हो रहा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थीगण स० 1 ल० 32 सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादीत आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान करने पर उतारू हो रहे है, तथा मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है, आराजी का बहामी बंटवारा होने व बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है या मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तथा अपने हिस्से को बिला तकासमा कराये ही बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूप्यै पैसों में नहीं आकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि ताःफैसला दावा अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी स० 1 ल० 32 आराजी हाल ख० नम्बरान 230 रकबा 0. 62 हैक0, 1207/165 रकबा 0.19 हैव०, 880 रकबा 0.26 हैक0, 881 रकबा 0.28 हैक0, 883 रकबा 0.23 हैक0, 884 रकबा 0.34 हैक0, 890 रकबा 0.25 हैक0, 894 रकबा 0.26 हैक0, 907 रकबा 0.09 हैक0, 908 रकबा 0.10 हैक0, 910 रकबा 0.23 हैक0, 911

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रकबा 0.19 हैक0, 914 रकबा 0.19 हैक0, 915 रकबा 0.19 हैक0, 873 रकबा 0.28 हैक0, 604 रकबा 1.34 हैक0, 843 रकबा 0.35 हैक0, 872 रकबा 0.19 हैक0, 177 रकबा 1.18 हैक0, 231 रकबा 0.38 हैक0, 606 रकबा 0.63 हैक०, वाके ग्राम सोडावास, तह० गुण्डावर जिला अलवर, राज० को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल नही करे, ना ही मिन प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करे, ना ही कोई बिना तकासमा कोई निर्माण करे, व मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा नही करे व राजस्व रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थी सं० 33 व 34 को पाबन्द किया जावे कि वो उपरोक्त आराजी के कोई दस्तावेज पंजिबद्ध नही करे, हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी स0 1 की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है. स्वकार नहीं है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नहीं रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया है. नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है. प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है. जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है।
3. यह है कि पैरा स० 3 इस प्रकार स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ल० 32 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिर्कोड है। बाकी पैरा गलत है. स्वीकार नहीं है। आराजी ख0न0 604 जो सडके पास स्थित है, तथा उक्त आराजी में अप्रार्थी स० 17 ल० 24 ने रिहायसी मकान बना रखे है तथा मिन अप्रार्थी व अन्य सहखातेदार का भी हिस्सा है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।
4. यह है कि पैर स० 3 इतना स्वकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ल0 24 की पैत्रिक रही है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी स० का पूर्वज उमराव व बंशी की जायदाद थी तथा उमराव व बंशी ने आराजी का विभाजन कर लिया था तथा प्रार्थी के पिता ने भी अपने चारों पुत्रो में विभाजन कर दिया था तथा आराजी पर सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है तथा कुछ सहखातेदारान द्वारा आराजी का बेचान कर दिया गया है।
5. यह है कि पैरा स० 5 सही है, स्वीकार है।
6. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। आराजी के राजस्व रिर्कोड में प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ल० 32 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज है तथा बाकी पैरा गगलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा जिम्मन हाजा में आराजी का बहामी बंटवारा होने बाबत दर्ज किया है, लेकिन प्रार्थी ने बहामी बंटवारा में कौनसा ख०न० हिस्से आया है, दर्ज नही किया है तथा ना ही किस ख०न० का बेचान किया गया है, के बाबत दर्ज किया है तथा ना ही कोई रिर्पोट दर्ज करायी गयी है तथा अप्रार्थीगण किस ख०नं० पर कब्जा करने का प्रयास किया, दर्ज किया है, जिससे साफ है कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर दांवा

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पेश किया है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से आराजी का तकासमा कराने का अधिकारी नही है।

7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, जबकी हम अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी का बेचान नहीं किया है तथा ना ही वादी के हिस्से की आराजी पर कोई कब्जा किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपने बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर काबिज है, इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से आराजी का तकासमा कराने का अधिकारी नही है।
8. यह है कि पैरा स० 8 इतना स्वीकार है कि आराजी के राजस्व रिकोड में प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ल० 32 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौका पर आराजी का बहागी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है, जब सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है तो आराजी बेचान करने का कोई सवाल ही पैदा नही होता है तथा यदि सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान किया जा रहा है तो प्रार्थी सहखातेदार को आराजी बेचान करने से नहीं रूकवा सकता है तथा तथा आराजी का बहामी बंटवारा होने के कारण प्रार्थी कोई क्षति कारित नही होती है तथा प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम आदेश 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 जा0 दी0 निम्न पेश है :–

1. यह है कि उक्त अनुवान का काउन्टर क्लेम अदालत हाजा में विस्तृत वाकेआत के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का केस प्रायमा पैसाई आयद वो साबित होता है।
3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.62, 1207/165 रकबा 0.19, 880 रकबा 0.26, 881 रकबा 0.28, 883 रकबा 0.23, 884 रकबा 0.34, 890 रकबा 0.25, 894 रकबा 0.26, 907 रकबा 0.09, 908 रकबा 0.10, 910 रकबा 0.23, 911 रकबा 0.19, 914 रकबा 0.19, 915 रकबा 0.19, 873 रकबा 0.28, 604 रकबा 1.34, 843 रकबा 0.35, 872 रकबा 0.19, 177 रकबा 1.18, 231 रकबा 0.38 ऐयर वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर में स्थित है।
4. यह है कि आराजी शामलाती है शामलात में काश्त हो रही है शामलात में राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज है राजस्व रिकोर्ड में मुताबिक हिस्से दर्ज है। मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 17 लगायत 24 शामलात में काश्त कर रहे है। वादी/अप्रार्थी स्वयं के मन में बेईमान आई हुई

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है और मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की आराजी को हडपाना चाहते है। आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 1.34 ऐयर वाके ग्राम सोडावास जो विवादित आराजी है सडक से लगती हुई है। जिस पर कब्जा करना चाहता है। कीमत उक्त नम्बर की अधिक होने के कारण मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए शामलात में काश्त करना– नामुमकिन है और मिन प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 17 लगायत 24 के अधिकारी कानून द्वारा सुरक्षित है। जिनकी रक्षार्थ हेतु काउन्टर क्लेम पेश करना लाजिम आया है।

5. यह है कि दिनांक 23.06.2019 को अप्रार्थी/वादी खसरा नम्बर 604 रकबा 1.34 ऐयर वाके ग्राम सोडावास पर आये ओर मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लगे इसलिए मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण विवादित आराजी के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बार कुरेजात के तकासमा की फाईनल डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।
6. यह है आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 1.34 ऐयर जो सडक के साथ लगती हुई है उसे मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 17 लगायत 24 अपना 1/8 हिस्सा सडक के साथ प्राप्त करने के अधिकारी है।
7. यह है कि वाकई मे अप्रार्थी/वादी ने आराजी का बिना तकासमा कराये निर्माण कर दिया या रहन बैय से मुन्तकिल कर दिया तो मिन प्रार्थीगण को नापुर्ति होने वाली क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो में आकां जाना संभव नही होगा। इसलिए अप्रार्थी/वादी को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी/वादी को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे की वो विवादित आराजी वाके ग्राम सोडावास में स्थित है जिसे रहन बैय मुन्तकिल ना करे ना कोई निर्माण करे ना मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बेदखल करे। मौके व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। आदेश दिये जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं० 30 व 31 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है सही है स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मिन अप्रार्थीगण मुताबिक रिकोर्ड काबिज सहकाश्तकार है। तथा उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा अपने बंहामी बंटवारे के अनुसार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं० 30 व 31 की खरीद शुदा आराजी है जिस पर वक्त खरीद से काबिज काश्त है तथा बंहामी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है। प्रार्थी ने निहायत झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। इसलिये प्रार्थी पुनः बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
6. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, जबकी हम अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी का बेचान नहीं किया है तथा ना ही वादी के हिस्से की आराजी पर कोई कब्जा किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपने बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर काबिज है, इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से आराजी का तकासमा कराने का अधिकारी नही है।
7. यह है कि पैरा स० 8 इतना स्वीकार है कि आराजी के राजस्व रिकोड में प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ल० 32 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौका पर आराजी का बहागी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है, जब सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है तो आराजी बेचान करने का कोई सवाल ही पैदा नही होता है तथा यदि सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान किया जा रहा है तो प्रार्थी सहखातेदार को आराजी बेचान करने से नहीं रूकवा सकता है तथा तथा आराजी का बहामी बंटवारा होने के कारण प्रार्थी कोई क्षति कारित नही होती है तथा प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं० 38 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा सं० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है बाकी पेरा गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि पैरा सं० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है नितातं गलत है, स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने ना काबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फसाई आयद वो साबित नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी ने जिम्मन नं0 3 में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी उमराव व बंशी की आराजी थी जिसमें मिन प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ल० 24 व सामलात में काबिज काश्त है, लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ना तो ऐसा कोई लिखित विभाजन पत्र पेश किया ना ही विभाजन में तीनों पुत्रों में कौन कौन से खसरा नं० किस किस को प्राप्त हुये ऐसा अंकन अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया जिससे साफ है आज दिनांक तक मौके तक सभी काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी सामलात में काबिज काश्त है, जिसका कानूनी बंटवारा किया जाने कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है क्योंकि जब तक विधिक बंटवारे नहीं हो जाता है सामलात में अंकित काश्तकारों द्वारा एक दूसरे के मौके व रिकार्ड में व्यवधान पैदा करते रहते है जिससे काश्तकार अपने जमीन का ना तो सही ढंग से उपभोग व उपयोग करना सम्भव नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थी ने जिम्मन नं0 4 में बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है, बल्कि यह कई भी अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी के हिस्से में बहामी बंटवारे में कौन सा खसरा नं० हिस्से आया और किस नं० में काबिज है बल्कि प्रार्थी स्थगन आदेश प्राप्त कर सहकाश्तकार होने का बैजा फायदा उठाकर सहकाश्तकारों के समान अधिकारों को स्थगन प्राप्त कर प्रभावित करना चाहता है, लेकिन किसी भी सहकाश्तकार को दूसरे सहकाश्तकार के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार व्यवधान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 5 गलत व अस्वीकार है किसी भी सहकाश्तकार में अपनी भूमि का अपने हिस्से की भूमि का बेचान विशिष्ठ आराजी के भाग का उल्लेख नहीं किया व मिन प्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा नंम्बरान के बाबत यह अंकित किया है कि बहामी बंटवारे में आयी जमीन पर जबरन कब्जा कर मिन प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है. यह कथन अपने आप गलत व मिथ्या है क्योंकि प्रार्थी ने बहामी बंटवारे में कौन सा नं० उनके हिस्से आये और किस नं० में काबिज है यह कई भी नहीं लिखा इसलिए मिन प्रार्थी की यह बात मिथ्या व मनघंडत है कि सामलात में काश्त करना असम्भव हो बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर अपने अपने बहामी बंटवारे का काबिज काश्त है कानूनन तकासमा किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।
6. यह है कि जिम्मन नं० 6 गलत व अस्वीकार है, क्योंकि 21/08/2018 की घटना मिथ्या व मनघडत है, क्योकि जब प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कई अंकित नहीं किया कौन सा खसरा नम्बरान बहामी बंटवारे में आये हुये है और किन नम्बर में मौके पर काबिज है. और किन नम्बर पर अप्रार्थी ने दिनांक 21/08/2018 को कब्जा करने का प्रयास किया, किस नम्बर के उपयोग व उपभोग करने में व्यवधान पैदा करने का अप्रार्थी ने यह कई भी अंकित नहीं है दिनांक 15/01/2019 को विधिक बंटवारा करने से मना करने वाली बात मिथ्या व मनघडत है, क्योकि अप्रार्थी ही विधिक

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
भुण्टावर (खैरथल–तिजारा)

बटवारा करने को तत्पर व तैयार है, इसलिए मौके अनुसार कुर्रजात रिपार्ट मगवायी जाकर विधिक तकासमा कराने हेतु अप्रार्थी तत्पर व तेयार है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत व अस्वीकार है, क्योकि अप्रार्थी राजेन्द्र, सीताराम व गौरीशंकर के वारिसान ने घरेलू आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर अपनी भूमि का बेचान अप्रार्थी सं० 37 38, 39 को किया है ऐसा करने का अप्रार्थी सं० 1, 2, 5 ल0 9 को करने का कानून अधिकार प्राप्त है व अप्रार्थी को अपनी भूमि को पारिवारिक आवश्यकता होने पर बेचान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है लेकिन प्रार्थी सहकाश्तकार होने का बैजा फायदा उठाकर व अप्रार्थी को अपने हिस्से के बेचान से रोकने हेतु व तंग व परेशान करने के लिए माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो गलत व अन्यायसंगत है व सहकाश्तकार के हितों पर कुठाराघात करने जैसा है, प्रार्थी को ना तो किसी प्रकार की क्षति हो रही है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है. ना ही मौके पर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है, लेकिन सहकाश्तकारों को अपने जमीन से बेचान से रोकने के लिए न्याय में प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से पाबंद करने का अधिकारी नहीं है।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 8 गलत व अस्वीकार है दिनांक 21/08/2018 को प्रतिवादीगण ने जबरन प्रार्थी के बहामी बटवारे में हिस्से में आयी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है या किया जाता है तो प्रार्थी थाने में हम अप्रार्थी के खिलाफ रिपार्ट दर्ज कराता बल्कि प्रार्थी ने ऐसा कुछ नहीं किया तथा ना ही प्रार्थी ने अपने दावे में यह अंकित किया कौन से पक्षकारों ने किस किस अप्रार्थी ने दिनांक 21/08/2018 एकराय होकर प्रार्थी के हिस्से आयी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया प्रार्थी ने अप्रार्थी तकासमा कराने हेतु कभी कोई सम्पर्क नहीं किया और अप्रार्थी ने प्रार्थी को तकासमा कराना कभी कोई इंकार नहीं किया बल्कि अप्रार्थी तकासमा कराये जाने तत्पर व तैयार है, इसलिए दिनांक 15/01/2019 की घटना मिथ्या व मनघडत है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन है कि

1. प्रार्थी का अधिकार प्रथमदृष्टया (Prima-facie) सिद्ध
   1. विवादित आराजी खसरा 230, 1207/165, 880, 881, 883, 884, 890, 894, 907, 908, 910, 911, 914, 915, 873, 604, 843, 872, 177, 231, 606 कुल 20 खसरों में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 से स. 24 तक दर्ज सहखातेदार हैं।
   2. राजस्व रिकॉर्ड में भले ही सामलात का अंकन हो, परंतु मौके पर सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार काबिज–काश्त हैं।

सहायक कलक्टर (फा०द्वे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

3. उमराव एवं बंशी–दोनों मूल पूर्वज—ने जीवनकाल में जायदाद का बंटवारा कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी के पिता ने अपने चारों पुत्रों में लिखित रूप से पुनः विभाजन कर दिया। इससे स्पष्ट है कि बंटवारा वास्तव में हो चुका है, सभी अपने तय हिस्सों पर खेती कर रहे हैं, केवल राजस्व रिकॉर्ड में विधिक तकासमा नहीं हुआ। यही स्थिति धारा–212 के वाद को जन्म देती है, अतः वाद की प्रकृति सही व विधिसम्मत है।

2. सामलात का अंकन होने से तकासमा का अधिकार समाप्त नहीं होता
अप्रार्थीगण बार बार यह कहते हैं कि सामलात का अंकन है, इसलिए तकासमा नहीं हो सकता। यह तर्क पूर्णतया गलत है। माननीय कोर्टों के स्थापित सिद्धांत– यदि सामलाती खाते में लंबे समय से बहामी बंटवारा हो रहा हो तथा सभी सहखातेदार अपनी–अपनी भूमि पर विशिष्ट कब्जा रखते हों तो कानून की दृष्टि में तकासमा (Partition by metes & bounds) अनिवार्य व उचित माना जाता है। प्रार्थी के केस में यही स्थिति पूरी तरह सिद्ध है।

3. अप्रार्थीगण के जवाब स्वयं एक–दूसरे से विरोधाभासी
अप्रार्थीगण अलग–अलग जवाब में निम्न बातें स्वीकार करते हैं–
1. सभी अपने बहामी हिस्सों के अनुसार काबिज हैं।
2. पूर्वजों द्वारा बंटवारा हो चुका है।
3. कुछ सहखातेदार अपनी भूमि बेच चुके हैं।
4. आराजी वास्तव में सामलात नहीं है बल्कि बंटवारा अनुसार उपयोग हो रही है।

यह सभी बातें प्रार्थी की दावे का समर्थन करती हैं, न कि अप्रार्थियों का बचाव।

4. धारा 212 के तहत वाद पूर्णतया सही न्यायिक प्रकृति का है धारा 212 यह अधिकार देती है कि– यदि सामलात में बेचौनी, कब्जा–विवाद, अलग–अलग हिस्सों में हस्तक्षेप या विशिष्ट भाग में बेचान की आशंका हो तो तकासमा का वाद तथा स्थगन (Injunction) दोनों दायर किए जा सकते हैं।

यहाँ प्रार्थी के मामले में–
अप्रार्थी विशिष्ट भाग (विशेषकर खसरा 604, 894, 843 आदि) को बिना तकासमा बेचना चाहते हैं।
प्रार्थी को बेदखल करने की प्रत्यक्ष धमकी दी गई।
कब्जे में अवैधानिक हस्तक्षेप की घटनाएँ दर्ज की गयी हैं। अतः धारा 212 के सभी तत्व पूर्ण रूप से सिद्ध हैं।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) प्रार्थी के पक्ष में
1. प्रार्थी अपने पैतृक बहामी हिस्से पर खेती कर रहा है।
2. अप्रार्थी बिना तकासमा विशिष्ट भाग बेच देंगे तोकृ प्रार्थी की हिस्सेदारी खतरे में आ जाएगी,

सहायक कलक्टर (जा0टे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

भूमि हमेशा के लिए विभाजन हेतु अनुपयोगी हो जाएगी।

3. प्रार्थी को होने वाली क्षति अपूरणीय (Irreparable) है।
4. वहीं अप्रार्थियों को स्थगन आदेश से कोई वास्तविक हानि नहीं है– क्योंकि वे पहले से अपने हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं। अतः प्राथमिक स्थगन आदेश जारी रहना चाहिए।

6. अप्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वयं विरोधाभासपूर्ण अप्रार्थी स्वयं कहते हैं कि आराजी का विधिक तकासमा होना चाहिए, कि सामलात में काश्त संभव नहीं, कि प्रार्थी गलत रोक रहा है। इसका अर्थ है अप्रार्थी भी तकासमा के पक्ष में हैं, परन्तु प्रार्थी की रोक रोकना चाहते हैं ताकि विशिष्ट भाग बेच सकें। यह स्पष्ट रूप से अनुचित उद्देश्य है।

7. खसरा 604 (1.34 है.)–सड़क से लगी भूमिकृविवाद का मुख्य केंद्र प्रार्थी ने सही ही कहा है कि– खसरा 604 अधिक मूल्यवान है, अप्रार्थी उसी पर कब्जा व बेचान करना चाहते हैं, यह बहामी बंटवारे के विपरीत है। अप्रार्थियों के जवाब में खसरा 604 के बारे में कोई ठोस दस्तावेज या अधिकार सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का तर्क अधिक मजबूत व न्यायसंगत है।

8. प्रार्थी के दावे को स्थगन आदेश से संरक्षित रखना आवश्यक यदि अप्रार्थी बेचान कर देते हैं निर्माण कर देते हैं कब्जा बदल देते हैं तो बाद में तकासमा का वाद निरर्थक हो जाएगा। इसलिए– यथास्थिति आदेश (Status&quo) सबसे उपयुक्त राहत है।

अतः –निष्कर्ष एवं प्रार्थी की विनती उपरोक्त सभी तथ्यों, दस्तावेजों, बहामी कब्जे, खतरे की आशंका, और कानून के प्रावधानों के आधार पर प्रार्थी विनम्र निवेदन करता है कि –

1. धारा 212 के अंतर्गत विभाजन (तकासमा) का वाद स्वीकार किया जाए।
2. अप्रार्थीगण को हुज्जत ईदावमी (Permanent/Interim Injunction) से पाबंद किया जाए कि– वे बिना तकासमा कोई बेचान/रहन/हिबा/निर्माण न करें, प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें, उपपंजीयक किसी दस्तावेज को पंजीबद्ध न करे।
3. स्थगन आदेश यथावत रखते हुए वाद को स्वीकार किया जाए।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन है कि

वाद की प्रकृति व प्रार्थी की भूमिका

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स. 1 से 32 तक विवादित आराजी के सामलाती सहखातेदार हैं, इसमें कोई विवाद नहीं।
2. स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट स्वीकार किया है कि मूल पूर्वज उमराव एवं बंशी ने आपस में बंटवारा कर लिया था, तत्पश्चात प्रार्थी के पिता ने अपने चारों पुत्रों में लिखित रूप से विभाजन कर दिया, तथा सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्सों पर काबिज–काश्त हैं।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

3. अतः विवादित आराजी सामलात खाते में दर्ज अवश्य है, पर मौके पर सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार उपयोग व उपभोग कर रहे हैं।

यहीं से प्रार्थी का विरोधाभास शुरू होता है – एक ओर तो वह बहामी बंटवारा मानता है, दूसरी ओर उसी आधार पर स्थगन आदेश लेकर सभी सहखातेदारों के वैध अधिकारों पर रोक लगवाना चाहता है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यहीन व अधूरा

(क) बहामी बंटवारा की कोई ठोस डिटेल नहीं

1. प्रार्थी बारदृबार बहामी बंटवारा का हवाला देता है, परंतु न तो किसी लिखित विभाजन पत्र की प्रति पेश की, न यह अंकित किया कि कौन से खसरा नंबर प्रार्थी के हिस्से में आये, न यह बताया कि कौन से खसरा नंबर अप्रार्थियों के हिस्से में हैं, न कहीं यह दर्ज है कि कथित 21.08.2018 या 15.01.2019 की घटना किस–किस खसरा पर घटी।
2. जब बहामी बंटवारे के आधार पर विशिष्ट कब्जा का दावा किया जा रहा है, तो यह प्रार्थी की प्रथम जिम्मेदारी थी कि वह अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से बताता।
3. बिना किसी स्पष्ट हिस्से, नक्शा, कुर्रजात रिपोर्ट, या बंटवारा विवरण के – केवल "बहामी बंटवारा" शब्द का जिक्र कर देना, प्राथमिक अधिकार (prima facie right) सिद्ध नहीं करता।

(ख) कथित घटनाएँ – मिथ्या, मनघड़ंत, असमर्थित

1. प्रार्थी ने दिनांक 21.08.2018 व 15.01.2019 की घटनाएँ दर्ज की हैं – न किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट, न पुलिस में एफ.आई.आर., न ग्राम पंचायत स्तर पर आपत्ति, न कोई दस्तावेजी साक्ष्य।
2. यदि वास्तव में किसी प्रकार का मारपीट, बेदखली का प्रयास या जबरन कब्जा हुआ होता, तो प्रार्थी स्वाभाविक रूप से तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराता – जबकि ऐसा कुछ अभिलेख पर नहीं है।

अतः इन घटनाओं की कहानी केवल स्थगन आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गढ़ी गई प्रतीत होती है, जो कि न्यायालय से राहत पाने की योग्यता को नष्ट करती है।

3. सहखातेदार का अपना हिस्सा बेचने पर रोक – कानूनन अस्वीकार्य

1. स्वयं प्रार्थी स्वीकार करता है कि आराजी सामूहिक (सामलाती) है, कुछ सहखातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि बेच दी है, और सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं।
2. यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक विधिक तकासमा (कानूनी विभाजन) नहीं हो जाता, प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से के अनुपात में सम्पूर्ण जमीन के प्रत्येक इंच पर अधिकार माना जाता है, और सहखातेदार अपने अविभाजित हिस्से का बेचान/रहन करने के लिए विधिक रूप से सक्षम होता है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

3. प्रार्थी, सहखातेदार होने का बेजा फायदा उठाकर अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि बेचने से रोकना चाहता है, जबकि खुद बहामी बंटवारे और सहखातेदारी दोनों को स्वीकार भी कर रहा है।
4. यदि कोई सहखातेदार अपना हिस्सा बेचता भी है, तो खरीदार उसी सहखातेदार की स्थिति में आता है, प्रार्थी का हिस्सा न घटता है, न समाप्त होता है।

अतः सहखातेदारों के वैध विक्रय–अधिकार पर कुल–प्रतिबंध लगाने का प्रयास – कानून, न्याय और समता – तीनों के विपरीत है।

4. धारा 212 के तहत वाद की सीमित प्रकृति – स्थगन का दुरुपयोग

1. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य सहखातेदारों के बीच कानूनी तकासमा कराना है, ताकि सामलात प्रविष्टि के स्थान पर विशिष्ट खाते बन सकें।
2. प्रार्थी ने इस धारा के तहत वाद तो दायर किया, लेकिन मुख्य रूप से उसकी मंशा सहखातेदारों के विक्रय–अधिकार पर रोक लगवाना है, न कि निष्पक्ष तकासमा कराना।
3. दूसरी ओर, अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व काउंटर क्लेम में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे स्वयं विधिक तकासमा के पक्ष में हैं, कुर्रजात रिपोर्ट मंगवाकर न्यायालय से विधिक विभाजन चाह रहे हैं,जिससे प्रत्येक पक्ष को उसके हिस्से की जमीन विधिक रूप से मिल सके।

अतः तकासमा को लेकर कोई वास्तविक विवाद नहीं दृ विवाद केवल इतना है कि प्रार्थी खसरा 604 जैसी अधिक मूल्यवान सड़क किनारे जमीन पर खुद का वर्चस्व बनाए रखना चाहता है और उसी उद्देश्य से स्थगन आदेश का दुरुपयोग कर रहा है।

4. खसरा 604 – सड़क से लगी आराजी पर प्रार्थी का कोई विशिष्ट अधिकार सिद्ध नहीं

1. प्रार्थी बार–बार खसरा नं. 604 (रकबा 1.34 है.) को लेकर यह कहता है कि यह सड़क से लगी अधिक मूल्यवान भूमि है, अप्रार्थीगण इस पर कब्जा कर बेचान करना चाहते हैं।
2. जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि – उक्त खसरा भी सामूहिक सहखातेदारी में है, अप्रार्थीगण 17 से 24 आदि उस पर लंबे समय से काबिज–काश्त हैं, कुछ ने आवासीय निर्माण भी कर रखा है।
3. प्रार्थी न तो यह दिखा पाया कि बहामी बंटवारे में खसरा 604 उसके हिस्से में आया, न कोई लिखित बंटवारा, न कोई नक्शा, न कोई पैमाइश रिपोर्ट।

फिर भी वह खसरा 604 पर विशेष अधिकार जताकर स्थगन आदेश की ढाल से सबका अधिकार रोक रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं।

6. आदेश 39 नियम 1 व 2 के तीन परीक्षण – प्रार्थी पूर्णतः असफल

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

महोदय, अंतरिम स्थगन हेतु न्यायालय को तीन कसौटियों पर विचार करना होता है –

(क) Prima facie case - प्रथमदृष्टया अधिकार
प्रार्थी ने न तो अपना विशिष्ट हिस्सा बताया,
न बंटवारे का कोई लिखित दस्तावेज दिया,
न घटनाओं के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य दिया,
उलटे स्वयं स्वीकार किया कि सभी बहामी बंटवारे अनुसार काबिज हैं।
अतः प्रथमदृष्टया अधिकार प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता।

(ख) Balance of Convenience - सुविधा का संतुलन
वर्तमान स्थगन आदेश के कारण सहखातेदार अपनी जमीन का बेचान, रहन, निर्माण, आदि में असमर्थ हो गए हैं, उनकी पारिवारिक, आर्थिक आवश्यकताएँ बाधित हो रही हैं, वैध क्रय–विक्रय के अनुबंध प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर प्रार्थी आज भी अपने हिस्से की जमीन पर काबिज–काश्त कर रहा है,उसकी खेती में कोई बाधा नहीं है, केवल काल्पनिक आशंका के आधार पर स्थगन ले बैठा है।
अतः सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थी के पक्ष में नहीं।

(ग) Irreparable Loss - अपूरणीय क्षति
यदि स्थगन हट भी जाए और कोई विक्रय हो भी जाए तब भी प्रार्थी का हिस्सा कानूनन सुरक्षित रहता है, वह तकासमा के समय अपने नियत हिस्से का हकदार रहेगा, जो भी खरीदार होगा, वह सहखातेदार के रूप में खड़ा रहेगा – प्रार्थी की हिस्सेदारी कम नहीं होगी। उलटे, यदि स्थगन जारी रहता है – अप्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आवश्यकता, निर्माण, लोन आदि सभी प्रभावित होंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में करना लगभग असंभव है। इसलिए अपूरणीय क्षति यदि किसी को हो रही है तो वह प्रार्थी को नहीं, बल्कि अप्रार्थीगण को हो रही है।

7. काउंटर क्लेम – अप्रार्थी स्वयं विधिक तकासमा के पक्ष में

1. अप्रार्थीगण ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से प्रार्थना की है कि – विवादित सामलात आराजी का विधिक तकासमा बाई मिट्स एंड बाउंड्स कराया जाए, खसरा 604 सहित सभी खसरा नंबरों में हिस्से के अनुसार फाइनल डिक्री पारित हो।
2. यह व्यवहारिक एवं न्यायसंगत समाधान है – जिससे सभी सहखातेदारों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, कोई सहखातेदार दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
3. परंतु प्रार्थी स्थगन आदेश की आड़ में न स्वयं तकासमा के लिए ठोस कदम उठाता है, न दूसरों को उनकी जमीन के उपयोगध्उपभोगधविक्रय की स्वतंत्रता देता है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मु[illegible] ([illegible]–तिजारा)

8. निष्कर्ष व निवेदन

उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजों, कानून की स्थिति, और न्यायोचित सिद्धांतों के आलोक में –

1. प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र से न तो कोई प्रथमदृष्टया अधिकार सिद्ध कर पाया है,
2. न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है,
3. न ही उसे अपूरणीय क्षति का कोई वास्तविक खतरा है,
4. इसके विपरीत, स्थगन आदेश से सहखातेदारों के वैध अधिकार, पारिवारिक व आर्थिक हित बाधित हो रहे हैं।

अतः अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व हर्जाना सहित खारिज किया जाए, अंतरिम स्थगन आदेश (यदि कोई जारी है) तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए,

विवेचन

प्रार्थी झाबर उर्फ किशनस्वरूप बनाम राजेन्द्र एवं अन्य द्वारा दायर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सपठित धारा 151 दाण्डिक प्रकीर्ण संहिता (सी.पी.सी.) के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र पर, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, लिखित जवाब, काउण्टर क्लेम तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय निम्नानुसार विचार करती है –

1. वाद की प्रकृति एवं विवादित आराजी की स्थिति

विवादित आराजी खसरा नं. 230, 1207/165, 880, 881, 883, 884, 890, 894, 907, 908, 910, 911, 914, 915, 873, 604, 843, 872, 177, 231, 606 वाके ग्राम सोडावास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित है।

राजस्व रिकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स. 1 से 32 के नाम सामलात सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि – उक्त आराजी मूल पूर्वज उमराव एवं बंशी की पैतृक जायदाद थी, दोनों पूर्वजों ने जीवनकाल में आपस में बंटवारा कर लिया था, तत्पश्चात प्रार्थी के पिता ने अपने चारों पुत्रों में लिखित रूप से विभाजन कर लिया, तथा वर्तमान में सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज–काश्त हैं।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में सामूहिक सहखातेदारी एवं बहामी बंटवारा की स्थिति स्वीकारते हुए यह भी उल्लेख किया है कि कुछ सहखातेदारों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है तथा खसरा नं. 604 के एक भाग पर आवासीय निर्माण भी है।

2. प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना एवं आधार प्रार्थी की मुख्य प्रार्थना यह है कि –

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

विवादित सामलाती आराजी का विधिक तकासमा कराए जाने तक अप्रार्थीगण को उक्त खसरा नंबरों का विशिष्ट भाग रहन, बैय, हिबा, निर्माण आदि से मुन्तकिल करने से रोका जाए, प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, तथा राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी रखा जावे।

प्रार्थी का मुख्य आरोप है कि अप्रार्थीगण सामलात इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर मूल्यवान खसरा नं. 604 एवं अन्य भूमि का बिना विधिक तकासमा विशिष्ट भाग में बेचान करना चाहते हैं एवं प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।

3. अप्रार्थीगण का प्रतिवाद

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउण्टर क्लेम से निम्न बातें उभरती हैं –

1. यह स्वीकार है कि विवादित आराजी सामलाती सहखातेदारी में दर्ज है तथा सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार काबिज–काश्त हैं।
2. अप्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थी द्वारा कथित दिनांक 21.08.2018 एवं 15.01.2019 की घटनाएँ मिथ्या व मनगढ़ंत हैं, किसी प्रकार की जबरन बेदखली, कब्जा परिवर्तन या गैरकानूनी निर्माण का कोई स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, प्रार्थी ने न तो किसी राजस्व अधिकारीध्थाना आदि में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही किसी खसरा नंबर पर हुए कथित विवाद का स्पष्ट विवरण दिया।
3. अप्रार्थीगण ने काउण्टर क्लेम के माध्यम से स्वयं विवादित सामलाती आराजी का विधिक तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराए जाने की प्रार्थना की है, जिससे सभी सहखातेदारों को उनके हिस्से के अनुरूप विशिष्ट खाते प्राप्त हो सकें।
4. अप्रार्थीगण का यह भी कहना है कि सहखातेदार होने के नाते उन्हें अपनी अविभाजित हिस्सेदारी का विक्रय/रहन करने का कानूनन अधिकार है, जिसे प्रार्थी स्थगन आदेश के माध्यम से पूर्णतः रोकना चाहता है, जो न्यायसंगत नहीं है।

4. विचार – आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के मानदंडों पर परीक्षण

अस्थायी स्थगन आदेश (इंजंक्शन) प्रदान करने हेतु न्यायालय को तीन मुख्य कसौटियों पर विचार करना होता है –

1. प्रथमदृष्टया अधिकार (Prima Facie Case)
2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)
3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)

इन तीनों कसौटियों पर प्रार्थी के दावे का परीक्षण निम्नानुसार किया जाता है:

(क) प्रथमदृष्टया अधिकार

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बहामी बंटवारा होने का उल्लेख तो किया है, किंतु –

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उसने न तो किसी लिखित विभाजन पत्र की प्रति पेश की, न यह स्पष्ट किया कि बहामी बंटवारे में कौन से खसरा नंबर उसके हिस्से में आये, न यह बताया कि कथित घटनाएँ (21.08.2018, 15.01.2019) किस खसरा नंबर पर घटीं, न किसी पैमाइश रिपोर्ट, नक्शा, या अन्य स्वतंत्र दस्तावेज के माध्यम से अपना विशिष्ट कब्जा स्थापित किया।

दूसरी ओर, स्वयं प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि – सभी पक्ष बहामी बंटवारा अनुसार काबिज हैं, कुछ सहखातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है, और राजस्व रिकार्ड में अब भी सामलात प्रविष्टि विद्यमान है।

अतः प्रार्थी केवल "सामलात में उसका हिस्सा है" और "बहामी बंटवारा चल रहा है"दृ इस साधारण स्थिति से आगे कोई ऐसा विशिष्ट अधिकार अथवा विशिष्ट खसरा नंबर पर अपना अनन्य कब्जा प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं कर सका, जिस पर स्थगन आदेश देना अनिवार्य हो। इस प्रकार प्रथमदृष्टया अधिकार की कसौटी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर्याप्त रूप से खरा नहीं उतरता।

(ख) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)
वर्तमान स्थगन आदेश का प्रभाव यह है कि –
सभी सहखातेदार, जिनमें अप्रार्थीगण भी शामिल हैं, अपनी जमीन का विक्रय, रहन, निर्माण या अन्य वैध उपयोग करने में बाधित हैं, उनकी पारिवारिक, आर्थिक व वैधानिक आवश्यकताएँ प्रभावित हो रही हैं।

दूसरी ओर – प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि वह अपने बहामी हिस्से पर आज भी काबिज–काश्त है, मौके पर उसे किसी प्रकार की वास्तविक बेदखली सिद्ध नहीं हो पाई, केवल आशंका के आधार पर वह स्थगन जारी रखने की मांग कर रहा है।

यदि स्थगन आदेश जारी रखा जाता है तो सहखातेदारों के वैध अधिकारों पर अनावश्यक व व्यापक रोक लगेगी, जबकि प्रार्थी को किसी वर्तमान, प्रत्यक्ष, वास्तविक क्षति का अभिलेखों से प्रमाण नहीं मिलता।
अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थी के विरुद्ध प्रतीत होता है।

(ग) अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)
प्रार्थी की आशंका यह है कि –
यदि अप्रार्थीगण विशिष्ट भाग का विक्रय/निर्माण कर देंगे तो भविष्य में तकासमा करना कठिन हो जाएगा एवं प्रार्थी को क्षति होगी।

परंतु विधि की दृष्टि से – जब तक विधिक तकासमा नहीं हो जाता, प्रत्येक सहखातेदार पूरे खातेदारी रकबे के अनुपातिक हिस्से पर अधिकार रखता है, यदि कोई सहखातेदार अपना हिस्सा विक्रय करता है, तो क्रेता उसी की स्थिति में सहखातेदार के रूप में खड़ा होता है, प्रार्थी का हिस्सा कानूनन न

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुख्यालय ...

तो कम होता है, न समाप्त, तकासमा के समय प्रार्थी अपने नियत हिस्से का हकदार रहेगा, भले ही सहखातेदार बदल जाए।

इसके विपरीत, स्थगन आदेश जारी रहने से –
अप्रार्थीगण की आर्थिक योजनाएँ, निर्माण, बैंक लोन, पारिवारिक आवश्यकता आदि सब बाधित रहते हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि में करना भी व्यवहारिक रूप से कठिन है।

अतः "अपूरणीय क्षति" की कसौटी पर भी प्रार्थी का मामला अधिक मजबूत नहीं है, बल्कि वास्तविक एवं गंभीर क्षति की आशंका अप्रार्थी पक्ष के प्रति अधिक दिखाई देती है।

5. सामलात सहखातेदार का वैध विक्रय अधिकार
सामलाती खातेदारी की विधिक स्थिति यह है कि – जब तक विधिक तकासमा नहीं हो जाता, प्रत्येक सहखातेदार को अपने अविभाजित हिस्से का विक्रय/रहन करने का अधिकार होता है, और वह ऐसा करते समय विशिष्ट भाग का उल्लेख कर भी सकता है, जो कि बाद में तकासमा में समायोजित किया जा सकता है।

प्रार्थी का प्रयास यह प्रतीत होता है कि वह स्थगन आदेश के माध्यम से सहखातेदारों के इसी वैध अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना चाहता है, जबकि उसने स्वयं न तो अपना विशिष्ट हिस्सा स्पष्ट किया, न कोई ठोस अपूरणीय क्षति सिद्ध की। यह न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।

6. निष्कर्ष
उपर्युक्त समस्त तथ्यों, पक्षकारों की दलीलों, राजस्व अभिलेखों एवं विधिक सिद्धांतों का सम्यक् परीक्षण करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि

1. प्रार्थी अपने स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा प्रथमदृष्टया ऐसा विशिष्ट अधिकार सिद्ध नहीं कर पाया, जिससे अस्थायी निषेधाज्ञा देना अनिवार्य हो।
2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) प्रार्थी के पक्ष में नहीं, अपितु अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक झुका हुआ है।
3. प्रार्थी को किसी वास्तविक, तात्कालिक, अपूरणीय क्षति की संभावना अभिलेखों से सिद्ध नहीं होती, बल्कि स्थगन आदेश जारी रहने से सहखातेदारों के वैध अधिकारों एवं आर्थिक हितों को अधिक क्षति पहुँच रही है।

अतः आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के मानदंडों पर खरा न उतरने के कारण प्रार्थी का स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं आराजी ख0 नम्बरान 230 रकबा 0.62 है0, 1207/165 रकबा 0.19 है०, 880 रकबा 0.26 है0, 881 रकबा 0.28 है0, 883 रकबा 0.23 है0, 884 रकबा 0.34 है0, 890 रकबा 0.25 है0, 894 रकबा 0.26 है0, 907 रकबा 0.09 है0, 908 रकबा 0.10 है0, 910 रकबा 0.23 है0, 911 रकबा 0.19 है0, 914 रकबा 0.19 है0, 915 रकबा 0.19 है0, 873 रकबा 0.28 है0, 604 रकबा 1.34 है0, 843 रकबा 0.35 है0, 872 रकबा 0.19 है0, 177 रकबा 1.18 है0, 231 रकबा 0.38 है0, 606 रकबा 0.63 है०, वाके ग्राम सोडावास, तह० मुण्डावर पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)